

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

..... २० ग़ुलाल कुंहर

..... बनाम भूमिपारी तहसीलदार रावत

किस्म मुकदमा वादपत्र

..... नं० ६५

..... सन् २०२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
1/04/2025	<p>पत्रावली पेश हुई अग्रिमार्थक संघ द्वारा व्यापिक कार्य स्थगित कराने में अब पत्रावली पूर्णतः निर्दिष्ट दिनांक 30/4/2025 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
30/04/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। पैरीकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा जा दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पैरीकार सरकार दिनांक 21/05/2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>S.D.O</p>	
21/05/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। पैरीकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा जा दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पैरीकार सरकार दिनांक 12/06/2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>S.D.O</p>	
12/06/2025	<p>पत्रावली पेश हुई अग्रिमार्थक संघ द्वारा व्यापिक कार्य स्थगित कराने में अब पत्रावली पूर्णतः निर्दिष्ट दिनांक 08/7/25 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
08/07/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी तथा वकील प्रवेदी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई लावजूद वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः पक्ष में वादी की ओर से पैरीकी हेतु उपस्थित नही होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

श. म. ल. ल. कुंभार

बनाम

मु. मि. धारी लक्ष्मीलदार रावतभाटा

केस मुकदमा

नारपत्र

नं०

64

सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर य तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>अदम वैरती में खारिज किया जाता है। पत्रावली कुंभार लक्ष्मीलदार लीकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	